

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करने या उस पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाने हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई 2017 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2017-18 के लिए उपर्युक्त कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई 2017 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यो पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथा शीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एकबार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुबद्ध के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दंड और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

इसके बावजूद, 30 सितंबर 2018 तक विभिन्न सीपीएसई के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी पैराग्राफ में दिये गये हैं।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2018 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र में 450 सरकारी कम्पनियां तथा 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। वर्ष 2017-18 के लिए इनमें से 447 सरकारी कंपनियों और 187 सरकार द्वारा

638 कम्पनियों में से 94 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

नियंत्रित अन्य कंपनियों से लेखे देय थे। 3 सरकारी कंपनियों और 1 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी, जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे। 30 सितम्बर 2018 या इससे पहले कुल 385 सरकारी कम्पनियों तथा 155 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 62 सरकारी

कम्पनियों तथा 32 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं को प्रस्तुत करने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

विवरण	सरकारी कम्पनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनिया						
	सरकारी कम्पनियां		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनिया		कुल		
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	
31.03.2018 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कुल कंपनियों की संख्या	450		188		638		
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	59	391	6	182	65	573	
घटाएं: नई कंपनियां जिनके लेखे 2017-18 के लिए देय नहीं थे।	0	3	0	1	0	4	
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे 2017-18 के लिए देय थे।	59	388	6	181	65	569	
30 सितम्बर 2018 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखा प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	59	326	6	149	65	475	
बकाया लेखाओं की संख्या	0	62	0	32	0	94	
बकाया के संबंध विच्छेद	(i) परिसमापनाधीन	0	22	0	8	0	30
	(ii) समाप्त	0	2	0	6	0	8
	(iii) पहला लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	0	0	0	2	0	2
	(iv) अन्य	0	38	0	16	0	54
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2017-18)	0	24	0	9	0	33
	दो वर्ष (2016-17 और 2017-18)	0	5	0	1	0	6
	तीन वर्ष और अधिक	0	9	0	6	0	15

परिशिष्ट // क और परिशिष्ट // ख में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पाँच सांविधिक निगमों, जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से दो²⁸ सांविधिक निगमों ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम और भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2018 को प्रतीक्षित थे। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मामले में, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है तथा लेखे समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।

²⁸ भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण।

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा


कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनीगई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

2.4.3.1 चयनित सरकारी कंपनियों में तीन चरणीय लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाना

चूँकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात्पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न शेयर धारकों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजीने “तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली” के द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक तीव्र, नवीन, केंद्रित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण आरम्भ किया। तीन चरणीय



लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नए लेखापरीक्षा अभिगम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध', 'नवरत्न', 'मिनीरत्न' और 'सांविधिक निगमों' की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले चयनित गए सीपीएसई में लागू किया गया था:

- सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित अभिगम स्थापित करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उल्लेख करना और सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

तीन चरण लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के विस्तारित प्रावधान है। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रारंभिक आपत्तियां के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत उप-निर्देशों के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण 385 सरकारी कम्पनियों (59 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 155 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (6 सूचीबद्ध

सीएजी ने वर्ष 2017-18 के लिए 386 कम्पनियों और तीन सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

कम्पनियों सहित) तथा 03 सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2018 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 289 सरकारी कम्पनियों और 97 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा 3 सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।


कुल मिलाकर सीएजी ने 30 सितम्बर 2018 तक प्राप्त लेखाओं में से 75 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 63 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.5.1.1 तीन चरणीय लेखापरीक्षा का परिणाम

87 सीपीएसई (परिशिष्ट XII) की तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सीपीएसई ने अनेक मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किए थे जिसके कारण इनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2017-18 के लिए इन सीपीएसई के वित्तीय विवरणों में तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव



सीपीएसई जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
2.	सेंट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड

3.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
4.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
5.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
6.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
8.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
10.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
11.	मेज़ागनडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
12.	एमएसटीसी लिमिटेड
13.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14.	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
15.	आयल और नेचुरल गैस निगम लिमिटेड
16.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
17.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
18.	राष्ट्रीय सायन और उर्वरक लिमिटेड
19.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
20.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2.5.1.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 02 सरकारी कंपनियां और 01 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को रखने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 29 सरकारी कंपनियां और 6 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि *परिशिष्ट XIII* में वर्णित है के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को रखने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.4 सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सीपीएसई की सूची, जिनके संबंध में टिप्पणियों जारी की गईं, **परिशिष्ट XIV** में दी गई हैं। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका लाभ प्रदत्ता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 2,374.62 करोड़ और परिसंपत्तियों/ देयताओं पर ₹ 51,014.59 करोड़ था, को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

❖ सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	व्ययों के तहत उसको अलग से प्रदर्शित करने के बजाय परिचालन से राजस्व उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में की कटौती के संबंध में राजस्व से परिचालनों के साथ-साथ व्यय ₹ 6.23 करोड़ कम बताया गया था जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विपरीत था।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	यद्यपि, 2016-17 के दौरान, लेखांकन मानक-13 निवेश का लेखांकन का उल्लंघन के विषय में बताया गया था, कंपनी ने विभिन्न नकारात्मक संकेतकों के बावजूद चार कंपनियों ²⁹ के संबंध में गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी के प्रति ₹ 533.78 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप गैर-चालू निवेश अधिक बताये गए, निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान कम बताये गए और ₹ 533.78 करोड़ से वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया था। अशोध्य और संदिग्ध परिसंपत्तियों के साथ-साथ हानि के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया था और दीर्घ अवधि

²⁹ जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईएफसीआई फेक्ट्रस लिमिटेड, एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड और विडियोकॉन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

		<p>ऋण और अग्रिम ₹ 151.93 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था, निम्न के कारण:</p> <p>संदिग्ध श्रेणी के तहत समान को श्रेणीबद्ध करने के बजाय अवमानक के रूप में सितंबर 2013 में विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए ऋण का गलत वर्गीकरण जिसके परिणामस्वरूप ₹ 142.10 करोड़ का अल्प प्रावधान।</p> <p>नीसा लेशर लिमिटेड को जुलाई 2010 में दिए गए ₹ 30.02 करोड़ के बकाया ऋण हेतु ₹ 9.83 करोड़ का अल्प प्रावधान।</p>
--	--	--

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणीयां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	इंडएएस में परिवर्तन पर पूर्ण स्वामित्व भूमि के उचित मूल्य की अवधारणा और अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में मूल कीमत का चयनात्मक अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 29.96 करोड़ से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य व्यापक आय को अधिक बताया गया।
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	निष्पादन संबंधी वेतन की गणना करने में डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों को अधिक बताया गया और ₹ 10.64 करोड़ से लाभ को कम बताया गया।

❖ असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड (2016-17)	एक विशिष्ट परियोजना के लिए प्राप्त अनुदानों के जमा पर अर्जित ब्याज की संगणना समान अनुदान खाते को क्रेडिट करने के बजाय आय के रूप में की गई जिसके फलस्वरूप वर्ष हेतु आय को अधिक, देयता के साथ-साथ हानि को ₹97.13 करोड़ तक कम बताया गया।

		अधिकतम भुगतान के बजाय वास्तव में आहरित भुगतान के आधार पर समावेशित कर्मचारियों के पेंशन योगदान को प्रभारित करने की वजह से व्ययों को ₹ 594.53 करोड़ तक कम बताया गया जिसके फलस्वरूप उक्त राशि तक प्रावधानों के साथ-साथ संचित हानि को कम बताया गया।
2.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 2016-17 के दौरान उस समझौता जापन जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विवादित था, के अनुसार परस्पर सहमत मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री बिल जारी करना जिसके फलस्वरूप संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान को कम बताया गया तथा व्यापार प्राप्यों के साथ-साथ लाभ को ₹ 126.16 करोड़ तक अधिक बताया गया।
3.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	गैर-चालू परिसम्पतियों तथा लाभ को जनवरी 2018 में नेशनल कम्पनी विधि न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कम्पनी के दावों के अस्वीकरण के बावजूद मै.यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से निवल व्यापार प्राप्यों के लिए कम प्रावधान की वजह से ₹ 4 करोड़ तक अधिक बताया गया।
4.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (स्टैण्डअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार उप-मानक के रूप में इसे वर्गीकृत करने के बजाय मानक के रूप में दो ऋण परिसम्पतियों ³⁰ को व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.58 करोड़ तक परिचालनों से राजस्व का अधिक बताया गया तथा ₹ 32.28 करोड़ तक ऋण परिसम्पतियों के लिए प्रावधान को कम बताया गया। फलस्वरूप वर्ष हेतु हानि को ₹ 64.86 करोड़ तक कम बताया गया।
5.	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)	कैवर्न के परिचालन तथा अनुरक्षण पर ₹ 43.26 करोड़ का व्यय जो भारत सरकार से वसूली योग्य था तथा इसके प्रति भारत सरकार से ₹ 19.93 करोड़ की वसूली कम्पनी की बहियों में दर्ज नहीं थी। भारत सरकार से प्राप्यों के रूप में केवल ₹ 23.33 करोड़ की बकाया राशि दर्शाई गई थी।

³⁰ एसेल अहमदाबाद गोदरा टोल रोड्स लिमिटेड (मूल - ₹ 198.14 करोड़ और अवास्तविक पहचानित ब्याज आय - ₹ 28.34 करोड़) और मदुरई तुतीकोरिन एक्सप्रेसवेज लिमिटेड (मूल - ₹ 138.16 करोड़ और अवास्तविक पहचानित ब्याज आय - ₹ 4.24 करोड़)।

		सव्यंवाहार कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ असोसिएशन के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, कम्पनी ने उपयुक्त अनुमोदन के बिना व्यय से संबंधित परिचालन तथा अनुरक्षण को पूरा करने में परियोजना/पूँजीगत प्रयोजन के लिए निर्मित निधियों को दूसरे काम पर लगाया।
6.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यय के साथ-साथ ठेकेदार देयता को अगस्त 2014 से फरवरी 2018 तक की समयावधि के लिए संवर्धन बिल का लेखांकन न होने की वजह से ₹ 1.93 करोड़ तक कम बताया गया।
7.	नेशनल हाइवे एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मूल संस्वीकृत लागत के 9 प्रतिशत की बजाय वास्तविक लागत के 9 प्रतिशत की दर पर एजेंसी प्रभारों की बुकिंग होना जो दिनांक 29 मार्च 2017 के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्णय के विरुद्ध था इसके फलस्वरूप परिचालन से राजस्व को तथा लाभ को ₹ 2.92 करोड़ अधिक बताया गया। परिचालनों से राजस्व को अधिक बताया गया तथा अन्य चालू देयताओं को 3 प्रतिशत तक एजेंसी प्रभारों की अधिक बुकिंग की वजह से ₹ 2.27 करोड़ तक कम बताया गया था जो बटोट से किश्तवार स्ट्रेच तक एनएच-244 के पुनः स्थापन कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, डोडा, जम्मू को देय था।
8.	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	कर कटने के पश्चात हानि को ग्रेच्यूटी के प्रति देयता को कम बताने की वजह से ₹ 72.28 करोड़ तक कम बताया गया था। कर कटने के पश्चात हानि को बीमा परियोजना के लिए एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर सोल्यूशन के प्रति भुगतान जारी करने के बावजूद देयता का समायोजन न होने की वजह से ₹ 66.12 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
9.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	चालू देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा जुलाई 2011 से मार्च 2018 तक की समयावधि हेतु जल के लिए उठाए गए रायल्टी प्रभारों के प्रति बिलों की भाग राशि के लेखांकन की वजह से ₹ 20.13

		करोड़ तक कम बताया गया था। इसके फलस्वरूप लाभ को समान राशि तक अधिक बताया गया।
10.	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	<p>पिछले वर्ष से संबंधित ₹ 227.68 करोड़ की पेंशन ट्रस्ट राशि में कमी के लिए प्रावधान को चूक के संशोधन के रूप में पिछले वर्ष की प्रतिधारित आय के प्रति समायोजित किया गया था परन्तु उक्त प्रावधान पर सृजित ₹78.80 करोड़ की आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को चालू वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट किया गया था। इसके फलस्वरूप चालू वर्ष के लाभ तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को अधिक तथा पिछले वर्ष की प्रतिधारित आय तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को ₹ 78.80 करोड़ तक कम बताया गया।</p> <p>आस्थगित कर देयताओं की संगणना करते समय स्थाई परिसम्पत्तियों के लिखित मूल्य में प्रगति पर पूंजीगत कार्य के गलत समावेश के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के साथ-साथ लाभ को ₹ 26.12 करोड़ तक कम बताया गया।</p> <p>₹ 12.31 करोड़ तक संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान जिसे पिछले वर्ष के दौरान गलत प्रकार से सृजित किया गया था, प्रतिधारित आय के प्रति इसे समायोजित करने के बजाय लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट करके चालू वर्ष के दौरान वापस लिखा गया था जिसके फलस्वरूप लाभ को अधिक तथा ₹ 12.31 करोड़ तक प्रतिधारित आय को कम बताया गया था।</p>
11.	टान्डा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<p>वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में यह बताया गया कि विद्युत मंत्रालय ने ट्रांसमिशन योजना रद्द कर दी (फरवरी 2018) जिसके विकास के लिए कंपनी को निगमित किया गया था और चूंकि कंपनी को बन्द किया जाना था इसलिए गोइंग कन्सर्न बेसिस पर लेखे नहीं बनाए गए थे। यह भी कहा गया कि दिनांक 1 फरवरी 2018 की बैठक में कंपनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार खाता बहियों में परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के समायोजन हेतु लेखांकन सव्यंवाह को धारण कंपनी के बोर्ड निदेशकों से लम्बित अनुमोदन को रोककर रखा था। उक्त प्रकटनों के</p>

		<p>बावजूद कंपनी ने गोइंग कन्सर्न बेसिस हेतु लागू भूतपूर्व लेखांकन नीतियों को अपनाया जो सही नहीं था।</p> <p>बोर्ड निदेशकों को 15.5.2018 को यह सूचित करने कि चूंकि कंपनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को धारण कंपनी को हस्तांतरित करना था, अतः ₹ 1.58 करोड़ के प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी को ₹ 1.54 करोड़ की राशि को धारण कंपनी की उधारियों के साथ हस्तांतरित/समायोजित किया गया था तथा चूंकि कंपनी को विमुक्त किया गया है, अतः उधारियों पर सीडब्ल्यूआईपी की अधिकता तथा ₹ 4.71 लाख की राशि के चालू वर्ष के व्ययों को लाभ तथा हानि के विवरण पर प्रभारित किया गया था, इसे वित्तीय विवरणों में प्रभावित नहीं किया गया था।</p>
12.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड (2016-17)	<p>कंपनी ने परिसम्पत्तियों की बिक्री/हस्तांतरण के प्रति तथा इस पर असाधारण आय के रूप संगणित लाभ के प्रति ₹ 467.07 करोड़ की राशि के ब्याज को शामिल करते हुए भारत सरकार के ऋण को बढ़े खाते में डाला जो गलत था क्योंकि भारत सरकार ने केवल बढ़े खाते में डाली गई राशि की गणना की, किसी परिसम्पत्त की नहीं। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों ने यथार्थ तथा स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित नहीं किया।</p>

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियां
1.	आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<p>भले ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ₹ 2.72 करोड़ के मूल्य की मशीनरी प्राप्त की गई थी, फिर भी व्यापार देयों के प्रति ₹ 2.17 करोड़ की अग्रिम राशि को समायोजित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देयताओं तथा दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों को ₹ 2.17 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p>
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड (2016-17)	<p>1 अप्रैल 2015 तक ₹ 660.40 करोड़ के अंकित मूल्य वाली भूमि को पुनः मूल्यांकित किया तथा इसका उचित मूल्य ₹ 70,524.89 करोड़ तक निकाला गया। इसमें से,</p>

		<p>₹ 513.71 करोड़ के अंकित मूल्य के कम्पनी के पास शीर्षक/दस्तावेज भी नहीं थे अथवा भूमि की बिक्री/उपयोग पर प्रतिबंध था। भूमि के लिए बाजार दर जिसके सदंर्भ में या तो कोई शीर्षक/दस्तावेज उपलब्ध नहीं था या इसमें बिक्री/उपयोग पर प्रतिबंध था, को अपनाना क्रमानुसार नहीं था क्योंकि यह बाजार योग्य नहीं था। इसके फलस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के साथ-साथ प्रतिधारित आय को ₹ 42,769.43 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p> <p>इसके अलावा, जैसा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा टिप्पणी की गई अपनाई गई दर की शुद्धता, सूचना प्रस्तुत न होने, सत्यापित मूल्यांक द्वारा प्रस्तुत से भिन्न दर अपनाने, विभिन्न मूल्यांक को द्वारा अपनाई गई विभिन्न पद्धतियों की वजह से सुनिश्चित नहीं किया गया था।</p>
3.	बॉयोटेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिसटेंस काउंसिल	<p>₹ 2.23 करोड़ की राशि जो इलेक्ट्रिकल इन्फोरमेशन एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय से वसूली योग्य थी, को चालू परिसम्पत्तियों के रूप में इसका लेखांकन करने की बजाय चालू देयताओं के तहत एक नकारात्मक आंकड़े के रूप में संगणित किया गया था जिसके फलस्वरूप इस राशि द्वारा चालू देयताओं तथा चालू परिसम्पत्तियों दोनों को कम बताया गया।</p>
4.	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	<p>संयुक्त उद्यम भागीदार प्रमोटर से प्राप्त भूमि के मूल्य को अन्य इक्विटी के तहत इसे सम्मिलित करने के बजाय वित्तीय देयताओं में समावेशन के कारण ₹ 5.71 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p>
5.	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	<p>चालू देयताओं को दिनांक 26 अक्टूबर 2007 के विद्युत खरीद करार (पीपीए) के अनुसार कथित कंपनी द्वारा किए गए ₹ 8.90 करोड़ के दावे का भुगतान न होने की वजह से एनटीपीसी-सेल विद्युत कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को देय ब्याज राशि के रूप में ₹ 5.34 करोड़ को शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप हानि को ₹ 5.34 करोड़ तक कम बताया गया था।</p>

6.	इंडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड	चालू परिसम्पत्तियों में अप्रैल 2013 को प्रदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के प्रति वसूली योग्य दावों के रूप में ₹ 1.10 करोड़ सम्मिलित थे जिसके लिए आवेदन अप्रैल 2018 में दर्ज किया गया था। चूंकि भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अनुबंधित अवधि के पश्चात आवेदन फाइल किया गया था अतः यह वसूली योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसम्पत्तियों तथा लाभ को ₹ 1.10 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
7.	एचएमटी बियरिंग लिमिटेड	चालू देयताओं को वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार के ऋणों को बढ़े खाते में डालकर समायोजित न करने की वजह से ₹ 141.62 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' के नकारात्मक बकाया को ₹ 141.62 करोड़ तक अधिक बताया गया।
8.	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	अमूर्त संपत्ति तथा चालू देयताओं को चालू देयता के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में मेंगलोर कैवर्न के लिए 48" पाइपलाइन के उपयोग करने के अधिकार के लिए मेंगलोर सेज लिमिटेड को देय बकाया राशि के लेखांकन की वजह से ₹ 24.18 करोड़ तक कम बताया गया।
9.	इरकॉन पीबीटॉलवे लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की मूल मैच्योरिटी वाले बैंक के पास सावधि जमा के रूप में ₹ 20.00 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जिसे इंडएएस 7 के प्रावधानों के अनुसार अन्य बैंक बकायों के तहत शामिल किया जाना चाहिए था।
10.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को भूमि की लागत के समावेश की वजह से ₹ 29.24 करोड़ तक अधिक बताया गया जोकि अपेक्षित नहीं था तथा जिसके लिए मामले को धन के प्रतिदाय के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लिया गया था। इसके फलस्वरूप अन्य चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया। उक्त का उपयुक्त प्रकटन भी नहीं किया गया। अन्य परिसम्पत्तियों को ट्राम लाइनों की शिफ्टिंग के प्रति पश्चिम बंगाल परिवहन निगम को प्रदत्त ₹ 5.00 करोड़ के

		<p>तदर्थ अग्रिम तथा ओवरहैड ट्रेक्शन प्रणाली के साथ मौजूदा उपयोगिताओं के समावेश की वजह से अधिक बताया गया जिसे प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए था।</p> <p>रेल मंत्रालय से तदनुसार प्राप्य वस्तुओं के साथ अधीनस्थ ऋण के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इक्विटी योगदान की पहचान न होने के फलस्वरूप देयताओं के साथ-साथ परिसम्पत्तियों को ₹ 146.50 करोड़ तक कम बताया गया।</p> <p>संरेखण में परिवर्तन की वजह से ठेकेदार से एक दावे के प्रति देयता का लेखांकन न होने की वजह से ₹ 77.25 करोड़ तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य का तदनुसूची कम बताने के साथ अन्य चालू देयताओं को भी कम बताया गया।</p> <p>पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदत्त 38.50 एकड़ भूमि तथा ₹ 48 करोड़ तक भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त निधियों को खातों में परिलक्षित नहीं किया गया। प्रबंधन ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राशि का समेकन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संदर्भ में खातों में भी कोई प्रकटन नहीं किया गया।</p>
11.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	<p>अन्य इक्विटी को कम बताया गया तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्यों को पूर्व वर्षों में उद्यम को अस्तित्व में लाने में प्राथमिक व्ययों को प्रभारित न करने तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में इसके लेखांकन की वजह से ₹ 5.01 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p>
12.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	<p>₹ 22.37 करोड़ की निर्धारित निधियों को नकद तथा नकद समतुल्य के तहत पृथक रूप से दर्शाया नहीं गया जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के विरुद्ध था।</p> <p>नकद तथा नकद समतुल्य से ₹ 1.98 करोड़ की लघु अवधि की सावधि जमा राशि को निकाल दिया गया जिसे वास्तव में अन्य बैंक बकायों के तहत प्रदर्शित किया गया था।</p>

13.	नेशनल हाइवे एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	अन्य चालू देयताओं को 2017-18 तक किए गए मरम्मत तथा अनुरक्षण, उपयोगिता शिफ्टिंग तथा अन्य कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को देय राशि का समावेश न होने की वजह से ₹ 4.35 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि द्वारा भारत सरकार की ओर से धारित परिसम्पत्तियों को कम बताया गया।
14.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कंपनी द्वारा इन निवेशों के गलत द्विभाजन की वजह से ₹ 3018.06 करोड़ तक नीतिधारकों के निवेश को कम बताने सहित शेयरधारकों के निवेशों को अधिक बताया गया। इसी प्रकार, नीतिधारकों की निधियों को ₹ 458.69 करोड़ तक कम बताने के साथ शेयरधारकों की निधियों को अधिक बताया गया।
15.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड	व्यापार देयों में आयल एवं नैचुरल गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को देय निम्नलिखित भुगतानों को शामिल नहीं किया: ₹ 30.20 करोड़ का प्रीमियम तथा वर्ष 2016-17 में समुद्र मार्ग के माध्यम से ओएनजीसी द्वारा आपूर्त नाफथा हेतु ₹ 81.50 करोड़ के निर्यात संबंधित व्ययों तथा लोडिंग प्रभार। 31 मार्च 2018 तक मीथेन की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी को किए जाने वाले भुगतान की सगणना हेतु गलत फार्मूला अपनाने की वजह से ₹ 46.82 करोड़ का कम भुगतान। नाफथा, इथेन, प्रोपेन एवं बूटेन की खरीद के लिए ओएनजीसी को अतिदेय भुगतानों पर ₹ 14.80 करोड़ के ब्याज के भुगतान हेतु देयता। फलस्वरूप, चालू देयता तथा हानि को ₹ 173.32 करोड़ तक कम बताया गया। प्रावधानों को दिसम्बर 2016 में सेमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाए गए एक बीजक का लेखांकन न होने की वजह से ₹ 10.41 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, वर्ष हेतु हानि को ₹ 10.41 करोड़ तक कम बताया गया था।

		<p>पूँजीगत अग्रिमों को सेमसंग इंजी.काँ.लि., कोरिया को कवर करने के लिए बीमा की विस्तारण लागत की प्रतिपूर्ति का समावेश न होने की वजह से ₹5 करोड़ तक कम बताया गया जो वास्तव में इससे वसूली योग्य था। इसके फलस्वरूप संपत्ति एवं उपकरण को ₹ 5 करोड़ तक अधिक बताया गया।</p> <p>प्रगति पर पूँजीगत कार्य को उन समेकित जन उपयोगी सेवाओं एवं ऑफसाइट पैकेज के प्रति ₹ 641.91 करोड़ की राशि के समावेश की वजह से अधिक बताया गया था जिन्हें 31 मार्च 2018 तक उपयोग में लाया गया था। इसके फलस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹ 641.91 करोड़ तक कम बताया गया।</p>
16.	ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	<p>कंपनी द्वारा इन निवेशों के गलत द्विभाजन की वजह से ₹ 2202.83 करोड़ तक शेयर धारको के निवेश को कम बताने सहित नीतिधारको के निवेश को अधिक बताया गया। इसी प्रकार, इसमें ₹ 836.30 करोड़ तक शेयरधारको की निधियों को कम बताने सहित नीतिधारकों की निधियों को अधिक बताया गया था।</p>
17.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	<p>व्यापार देयो को कम बताया गया तथा वर्ष 2012-13 के उचित बिक्री मूल्य (एफएसपी) जो वर्ष 2014-15 हेतु एफएसपी से अधिक था जिसे 2016-17 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया। पर वर्ष 2014-15 के लिए सिक्को की बिक्री की बुकिंग की वजह से दर भिन्नता होते हुए ₹ 44.85 करोड़ के प्रावधान का समावेश न होने की वजह से प्रतिधारक आय को अधिक बताया गया</p> <p>यद्यपि सांविधिक लेखापरीक्षक ने पिछले वर्ष की अपनी उक्त रिपोर्ट में टिप्पणी की थी, तथापि सांविधिक लेखापरीक्षक ने चालू वर्ष के लिए एक असंशोधित रिपोर्ट जारी की। अतः सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में यह कमी थी।</p>
18.	सिडकूल कॉनकॉर इन्फ्रा कंपनी	<p>नकद तथा नकद समतुल्य में ₹ 12.76 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जो एक वर्ष की मूल मेच्योरिटी वाले बैंक के</p>

लिमिटेड	पास सावधि जमा था तथा इसलिए इसे इंडएएस 7 के प्रावधानों के अनुसार अन्य बैंक बकायों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था।
---------	---

प्रकटन पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणीयां
1.	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वर्ष 2016-17 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के समय प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यह पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज, कि वह स्व-बीमा नीति के माध्यम से उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु ठेकों के लिए तीसरी पार्टी की देयता का वहन करेंगे, न तो प्राप्त हुआ था और न ही स्व-बीमा निधि के अनुरक्षण से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति को लेखा टिप्पणीयों में प्रकट किया गया था।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	दूर संचार विभाग द्वारा लगाए गए ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म शास्ति की ₹ 34.73 करोड़ की राशि को न तो पुष्ट देयता के रूप में प्रकट किया गया था और न ही आकस्मिक देयता में शामिल किया गया था।
3.	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसिस्टेंस काउंसिल	नकद और नकद समकक्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मंत्रालय से प्राप्त निधियों के ₹ 66.82 करोड़ शामिल थे जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार इसे अलग से दर्शाने की बजाय बचत खाते और सावधि जमा के रूप में दर्शाया गया था। नकद प्रवाह विवरण में प्रचालन कार्यकलाप से नकद में ₹ 10.13 करोड़ कम बताए गए और इसी राशि तक नकद तथा नकद समकक्ष के अंत शेष में अधिक बताया गया। इसके अलावा, लेखांकन मानदंड 3के अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं का भी पालन नहीं किया गया था।
4.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कंपनी ने प्रति शेयर आय, मूल तथा मंदित आय को प्रकट नहीं किया था जो इंड लेखांकन मानदंड 33 के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

		कंपनी ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में अध्यक्ष और निदेशकों का मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रूप में खुलासा नहीं किया था जो इंडएएस-24 के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, उन अधिकारियों के नाम का भी खुलासा नहीं किया गया था जो वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिक थे परन्तु जिन्होंने वर्ष की समाप्ति से पूर्व कार्यालय छोड़ दिया था।
5.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	विद्युत आपूर्तिकर्ता को दिए गए ₹ 1.17 करोड़ के शास्ति ब्याज को प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त नकद के अंतर्गत शामिल करने की बजाय वित्तीय कार्यकलापों से प्राप्त नकद के तहत शामिल किया गया था।
6.	इंजीनियरिंग परियोजनाएं (भारत) लिमिटेड	ठेकेदार से वसूलीयोग्य के रूप में दर्शाई गई ₹ 43.06 करोड़ की राशि के संबंध में कंपनी ने यह प्रकट नहीं किया कि वर्ष के दौरान ठेका समाप्त कर दिया था और कंपनी पर ₹ 81.96 करोड़ का विवाचन दावा दायर किया गया था जिसके प्रति कंपनी ने भी ₹ 146.71 करोड़ का काउंटर दावा किया था। इसके अलावा, इस संबंध में ग्राहक के साथ एक के बाद एक ठेका करने के बावजूद ग्राहक से इस राशि की वसूली नहीं की गई और इस ठेकेदार से वसूलीयोग्य के रूप में दर्शाया गया था।
7.	एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	चूंकि कंपनी के प्रचालनों को बंद करने के कैबिनेट के निर्णय के आधार पर सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दे दी गई और अंतिम निपटान किया गया था, अतः ग्रेच्युटी ट्रस्ट में पड़ी ₹ 1.90 करोड़ की राशि को गैर-चालू देयताओं के तहत नकारात्मक आंकड़े दर्शाने की बजाय चालू परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। आकस्मिक देयताओं में ₹ 30.22 करोड़ को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को देयताओं के विलंबित भुगतान पर दांडिक ब्याज के कारण शामिल नहीं किया गया था।
8.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	नकद प्रवाह विवरण नकद एवं नकद समकरणों, कर पूर्व निवल लाभ, असाधारण मदों तथा अन्य वित्तीय देयताओं को गलत रूप से दर्शाने के कारण त्रुटिपूर्ण था।

9.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखांकन मापदंड 1 के प्रावधानों के विपरीत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया था।
10.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लेखांकन मापदंड-20 के अंतर्गत यथा अपेक्षित आय प्रति शेयर को वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया था। सेवा लागत को पिछली सेवा लागत और मौजूदा सेवा लागत के रूप में अलग से नहीं दर्शाया गया था जो लेखांकन मापदंड-15 के अनुसार अनिवार्य है।
11.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह को ₹ 3,235.42 करोड़ तक कम बताया गया था और प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह को उसी राशि तक अधिक बताया गया था। वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह में ₹ 1,794.08 करोड़ के वास्तविक नकद प्रवाह के बजाय ₹ 1,854.36 करोड़ का भुगतान किए गए ब्याज का 2017-18 का नकद प्रवाह शामिल था। ₹ 60.28 करोड़ के अंतर को वित्तीय कार्यकलापों के नकद प्रवाह के तहत इसे अलग से दर्शाने की बजाय प्रचालन कार्यकलापों के नकद प्रवाहों और वित्तीय कार्यकलापों के नकद प्रवाहों में समायोजित किया गया था।
12.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	कंपनी ने ब्याज/शास्ति की राशि प्रकट किए बिना आय कर और सेवाकर की विवादित देयताओं के आधार पर ₹ 9,155.39 करोड़ की राशि को प्रकट किया था जिसे विभिन्न सांविधियों के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया जा सकता था।
13.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गए कुओं और अमूर्त परिसंपत्तियों की मरम्मत की लागत की ₹ 346.52 करोड़ की राशि की चूक के कारण निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह को अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप इसी राशि तक प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों को कम बताया गया था। प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों में (पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े) कंपनी ने इसे कम करने की बजाय

		<p>प्रचालन लाभ में ₹ 136.85 करोड़ की राशि तक सहायक कंपनियों द्वारा इक्विटी शेयरों की आंशिक वापसी-खरीद पर लाभ को जोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के प्रचालन कार्यकलापों के नकद प्रवाहों को ₹ 273.70 करोड़ तक अधिक बताया गया था।</p> <p>प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों में (पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े) कंपनी ने ब्याज आय के आधार पर पिछले वर्ष के लाभ से ₹ 57.16 करोड़ की बजाय ₹ 25.77 करोड़ की कटौती की थी जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों को ₹ 31.39 करोड़ तक अधिक बताया गया था।</p>
14.	सेलराइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	<p>भारतीय इस्पात प्राधिकरण से 33 वर्षों की अवधि हेतु ली गई भूमि के लिए इंडएएस 17 के तहत आवश्यक प्रकटन नहीं दिया गया था। कंपनी ने प्रचालन पट्टा के संबंध में कोई लेखांकन नीति नहीं बनाई थी।</p>
15.	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<p>नकद प्रवाह विवरण में निम्नलिखित कमियां थीं: पूर्व अवधि की मर्दों, विवादित दावों और मूल्यहास के ₹ 84.53 करोड़ में अन्य समायोजनों के धारित आय के प्रति समायोजित किया गया था परन्तु प्रचालन कार्यकलापों से सृजित नकद की गणना करते समय नकद प्रवाह विवरण में वर्ष के लाभ से उसकी कटौती नहीं की जानी थी।</p> <p>विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव से प्राप्त ₹ 4.71 करोड़ को कर पूर्व बुक लाभ से कम नहीं किया गया था।</p> <p>अन्य गैर-प्रचालन आय के ₹ 31.42 करोड़ को प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह की गणना करते समय कर पूर्व बुक लाभ से कम नहीं किया गया था।</p>
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (2016-17)	<p>कंपनी ने टिप्पणियों में बताया कि भारत सरकार से ऋण और उस पर ब्याज के ₹ 467.07 करोड़ को भारत सरकार द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के अधिकार की धारणा के बदले लेखाबहियों में बट्टे खाते में डाला गया था इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि कंपनी इस अधिकार को भारत सरकार को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी क्योंकि यह भूमि कर्नाटक सरकार द्वारा दिसंबर 1973 में इस शर्त के साथ दी गई थी कि कंपनी इस भूमि को</p>

	केवल उस उद्देश्य हेतु रख सकती है जिसके लिए यह अधिगृहित की गई थी अर्थात् व्यवसाय करने के लिए और इस शर्त के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार द्वारा इस पर निर्मित भवन सहित भूमि को पुनर्गृहण कर लिया जाएगा।
--	---

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियां
1.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	कंपनी ने प्रतिवाद के अंतर्गत सांविधिक देयताओं की विवादित मांग के आधार पर ₹ 832.90 करोड़ की राशि जमा कराई थी। तथापि, इस तथ्य की सूचना लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में नहीं दी गई थी जो कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश पर मार्गदर्शन टिप्पणी, 2016 के अनुरूप नहीं था।
2.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में लेखापरीक्षक का विवरण कि जोखिम निर्धारण करने में, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए विचार किया गया परन्तु इस पर मत व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता कम्पनी की (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) विनियमावली 2014 के नियम 10(ए) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के परस्पर विरोधी था जिसमें लेखापरीक्षकों को पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इसकी परिचालन प्रभावकारिता की मौजूदगी के विषय में बताना अपेक्षित है।
3.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	विवादित सांविधिक देयों पर रिपोर्टिंग करते समय सांविधिक लेखापरीक्षकों ने विवादित ब्याज तथा शास्ति पर रिपोर्ट नहीं की।
4.	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक मामलों पर टिप्पणी निहित नहीं थी तथा एक सामान्य

	कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	विवरण देने के अलावा कंपनी पर लागू आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट होने हेतु ऐसा कोई मामला नहीं था।
5.	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण)	रिपोर्ट में ऐसे मामले जिसे कंपनी के वित्तीय विवरण में बताया नहीं गया है, को इंफासिस ऑफ मैटर पैरा समेकित किया गया जो कि लेखापरीक्षण मापदंड 706 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। इसके अलावा, कथित मानक की आवश्यकता के अनुसार इस कथन कि “लेखापरीक्षक मत इंफासिस ऑफ मैटर के संदर्भ में संशोधित नहीं है” को इंफासिस ऑफ मैटर पर जोर देने में सम्मिलित नहीं किया गया।
6.	टान्डा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	वित्तीय कथनों पर टिप्पणियों में यह कहा गया कि कंपनी का प्रमुख व्यवसाय अब अस्तित्व में नहीं था तथा कंपनी बन्द हो रही है। हालांकि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में गोंग कन्सर्न से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता के संदर्भ में पृथक भाग शामिल नहीं था जो लेखापरीक्षण मापदंड 570 के प्रावधानों के विरुद्ध था।
7.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड (2016-17)	लेखापरीक्षकों ने यह सूचित किया कि कंपनी ने भारत सरकार को देय अनुसार अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री आय नहीं दर्शाई थी जोकि गलत था क्योंकि दिनांक 18.1.2018 के पत्र द्वारा भारत सरकार ने कथित बिक्री आय से सभी सत्त्वों के लिए कंपनी द्वारा किए गए दावों/देयताओं का निपटान करने का निर्देश दिया था। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार द्वारा भारत सरकार को कंपनी के लिए दी गई भूमि की गैर-हस्तांतरणीयता के संदर्भ में तथ्यात्मक स्थिति वर्णित नहीं की।

असूचीबद्ध सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणीयां
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	अन्य चालू परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के कमीशन तथा ब्रोकेज के प्रति ₹1.21 करोड़ की राशि शामिल थी जिसे

	कंपनी की नीति के विपरीत 2015-16 से परिशोधित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'पूर्व अवधि व्यय' को कम तथा 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' एवं 'कर से पूर्व लाभ' को ₹ 1.21 करोड़ तक अधिक बताया गया।
--	---

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2010-11 से 2015-16 के दौरान अन्य आय के रूप में लेखांकन की बजाय पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में अनपयुक्त/अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 90.63 करोड़ के लेखांकन के फलस्वरूप अन्य आय, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अन्य इक्विटी को ₹ 90.63 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्हास को भी कम बताया गया जोकि डाटा की अनुपलब्धता की वजह से गणना नहीं की जा सकी।
2.	चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	चालू देयताओं तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्य को एन्नोर-मनाली रोड सुधार परियोजना के संबंध में पुनः निपटान लागत में वृद्धि के प्रति तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड को देय राशि का लेखांकन न करने की वजह से ₹ 48.82 करोड़ तक कम बताया गया था।
3.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	प्रदत्त ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा तथा इसका उचित मूल्य जिसे पूर्व प्रदत्त व्ययों के रूप दर्शाया जाना था,के बीच भिन्नता को गलती से अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में बुक किया गया जिसके परिणामस्वरूप अमूर्त परिसम्पत्ति को अधिक तथा पूर्व प्रदत्त व्ययों को ₹ 110.43 करोड़ तक कम बताया गया था। कंपनी ने इंडएएस 16 तथा कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 1.2.3.(ए) के तहत अपेक्षित रूप में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी काल की कोई समीक्षा नहीं की।

4.	मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म एवं फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	ईंधन के डेड स्टॉक को परिचालन ईंधन के रूप में 902 केएल के डेड स्टॉक ईंधन के रूपान्तरण का लेखांकन न होने की वजह से ₹ 4.30 करोड़ तक अधिक बताया गया जिसके कारण गैर-चालू परिसम्पत्तियों को अधिक तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 4.30 करोड़ तक कम बताया गया था।
5.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	व्यापार देयो में ₹ 4.20 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जिसे ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक ठेकेदार को देय रूप में दर्शाया गया था, यद्यपि ठेकेदार ने पहले ही यह पुष्टि कर दी थी कि इसने कंपनी से सभी देय भुगतान प्राप्त कर लिए थे तथा कथित ठेके के तहत जो भी लम्बित था उसका दावा नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप व्यापार देयो तथा संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर प्रत्येक को ₹ 4.20 करोड़ तक अधिक बताया गया।

प्रकटन पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	केन्द्र सरकार ने 29 मार्च 2018 को ग्रेच्यूटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के भुगतान को अधिसूचित किया तथा कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी की राशि की सीलिंग में ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक की वृद्धि। हालांकि, कंपनी ने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए प्रावधान से सृजन हेतु सीलिंग राशि में वृद्धि पर विचार नहीं किया। लेखों की टिप्पणियों में लेखांकन मानक 15 के अपेक्षित परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना परिसंपत्तियों, लाभ तथा हानि विवरण में स्वीकृत कुल व्ययों, प्रोद्भूत आवधारणाओं के साथ प्रोदभूत लाभ तथा हानियां आदि जैसी परिभाषित लाभ योजनाओं के सदंर्भ में प्रकटन शामिल नहीं थे। उक्त अननुपालनों को सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा उनकी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भी सूचित नहीं किया गया था।
2.	नबकिसन फाइनेंस लिमिटेड	कंपनी ने नकद आधार पर प्रसंस्करण ऋणों के लिए ग्राहक से संग्रहित अपफ्रन्ट/प्रसंस्करण फीस से आय को मान्यता दी जो प्रोद्भूत की मूल लेखांकन अवधारणा के विरुद्ध था। इसे

	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में प्रदर्शित नहीं किया गया जोकि लेखांकन मानक-1 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
--	---

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र.सं	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक लेखापरीक्षक ने कम्पनी) लेखापरीक्षक रिपोर्ट (आदेश 2016 पर मार्गदर्शन टिप्पणी के पैरा 5 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जो यह बताता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का भाग बनेगी। सांविधिक लेखापरीक्षक ने स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में गलत तरीके से यह सूचित किया कि कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी, तथापि कंपनी के पास 31 मार्च 2018 तक ₹ 158. 16करोड़ के मूल्य की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण थे जिसमें अचल परिसम्पत्तियां भी शामिल थी।

2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है,के संबंध में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- एएआई द्वारा कार्गो परिचालनो तथा ₹ 49.34 करोड़ की राशि के इसके तदनुसूची संचित मूल्यहास से संबंधित सभी सेगमेंट परिसम्पत्तियों को एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसिज कम्पनी लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, इन परिसम्पत्तियों को मई 2006 में पहले ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल) को हस्तांतरित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूर्त परिसम्पत्तियों तथा संचित मूल्यहास को ₹ 49.34 करोड़ तक कम बताया गया।

- (ii) 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में बताने के बावजूद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने संयुक्त उद्यमो अर्थात् दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) तथा मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के लिए प्रोदभूत राजस्व तथा संबंधित परिचालन, प्रबंधन तथा विकास करार के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित राजस्व के शेयर की यथार्थता सत्यापित करने के लिए मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। संबंधित अभिलेखों के अभाव में, डीआईएएल तथा एमआईएएल से प्राप्त ₹ 3,092.19 करोड़ के राजस्व की यथार्थता पर ध्यान नहीं दिया जा सका।
- (iii) आकस्मिक देयताओं (ऋणों के रूप दावे जिन्हे स्वीकार नहीं किया गया) को निम्नलिखित का प्रकटन न करने की वजह से ₹ 556.59 करोड़ तक कम बताया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	प्राधिकरण के अधिकृत क्षेत्र के तहत 43.49 एकड़ की इन्टर्मिटन्ट भूमि के भाग के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जयपुर द्वारा मांग की गई राशि	246.40
2.	नई दिल्ली निगम परिषद फायर स्टेशन, रनवे, डब्ल्यू/टी स्टेशन तथा सफदरजंग एयरपोर्ट पर अन्य प्राधिकरणों/निकायों द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्र पर संपत्ति कर की मांग की	258.58
3.	रक्षा मंत्रालय द्वारा 56.78 एकड़ भूमि जिसे इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली हेतु लिया गया था के लिये मांग	51.61
	जोड़	556.59

2.6 लेखाकरण मानकों/इंडएस के प्रावधानों का अननुपालन

कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 तथा 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक)

(संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट-XV** में ब्यौराबद्ध 14 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंडएएस का पालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंडएएस का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानक/इंडएएस		कंपनीकानाम	विचलन
एस 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड	ग्राहकों से अपफ्रन्ट/प्रसंस्करण फीस को इसका प्रकटन किए बिना नकद आधार पर संगणित किया गया था।
		नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को शामिल नहीं किया गया।
एस 12	सरकारी अनुदानों का लेखांकन	बायोटेक्नोलाजी कल इंडिस्ट्रिज रिसर्च एसिसटेंस काउंसिल	आय शीर्ष के तहत इसे प्रकट करने के बजाय अतिरिक्त मदों के रूप में ₹ 40.57 लाख की मूल्यहास राशि को वापिस जोड़ा गया।
एस 13	निवेशों का लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान न होने/अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप गैर चालू निवेशों को ₹ 533.78 करोड़ तक अधिक बताया गया।
एस 15	कर्मचारी लाभ	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	लेखों पर टिप्पणियों में परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में विभिन्न प्रकटन शामिल नहीं थे।
एस 20	प्रति शेयर आय	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	प्रति शेयर आय को दर्शाया नहीं गया

इंडएएस 101	भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार प्रयोग करना	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड	कम्पनी ने चयनित रूप से केवल फ्रीहोल्ड भूमि के उचित मूल्यांकन का प्रयोग किया।
		हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने अपने सूचित नकद प्रवाह पर इंडएएस को पिछले सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) से सव्यवहार के प्रभाव का वर्णन नहीं किया। कंपनी ने कुल व्यापक आय विवरण के समेकन तथा इंडएएस से गुजरने पर लाभ तथा हानि खाते के लिए सामग्री समंजन पर पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया। कंपनी ने इक्विटी के समंजन तथा इंडएएस से गुजरने पर तुलन पत्र में सामग्री समायोजन पर पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया।
इंडएएस 105	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों तथा बन्द किए गए परिचालन	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने गैर चालू परिसंपत्तियों के मूल्यहास, बिक्री के तथ्य तथा परिस्थिति और पहचाना गया लाभ/हानि जैसे प्रकटन नहीं दिए।
इंडएएस 7	नकद प्रवाह का विवरण (स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने नकद तथा नकद समतुल्य के घटक प्रस्तुत नहीं किए। तुलन पत्र में सूचित समान मदों के साथ नकद प्रवाह के विवरण में राशि के समेकन को भी प्रकट नहीं किया।
		इंरकान पीबी टॉलवे लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की वास्तविक मैच्योरिटी वाले बैंक के साथ सावधि जमा शामिल था।

		सेल राइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की वास्तविक मैच्योरिटी वाले बैंक के साथ सावधि जमा शामिल था।
		सिडकूल कॉनकॉर इन्फ्रा कंपनी लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की वास्तविक मैच्योरिटी वाले बैंक के साथ सावधि जमा शामिल था।
इंडएएस 8	लेखाकंन नीतियां, लेखाकंन आकलनो में परिवर्तन एवं त्रुटियां	सिक्चोरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पिछले वर्ष की प्रतिधारित आय के प्रति पिछले वर्ष के दौरान गलती से सृजित ₹12.31 करोड़ के संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान को समायोजित करने के बावजूद, इसे लाभ तथा हानि खाते में अन्य आय के रूप में संगणित किया गया था।
		शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जब एक नया इंडएएस जिसे जारी किया गया है परन्तु अभी प्रभावी नहीं हुआ है, तब सत्व यह तथ्य तथा संभावित प्रभाव का निर्धारण करने से संबंधित जानकारी या उचित रूप से आकलन योग्य सूचना प्रस्तुत करेगा। यह नहीं किया गया।
इंडएएस 10	तुलन पत्र तिथि के पश्चात होने वाले मामले	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने तुलन पत्र तिथि के पश्चात पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में ₹ 13.45 करोड़ की इक्विटी लगाई जिसे प्रकट नहीं किया गया।
इंडएएस 16	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी काल की समीक्षा नहीं की गई।

इंडएएस 19	कर्मचारी लाभ	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के आवेदन जैसी अनिवार्य प्रकटन आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया जिसके जोखिम में कंपनी को वर्ष के दौरान ऐसे आवेदन, संशोधन, संवेदात्मकता विश्लेषण तथा कंपनी के आगामी नकद प्रवाह पर परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रभाव की वजह से उजागर नहीं किया गया।
इंडएएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	इंड लेखाकंन मानक के अनुसार पूर्ण प्रकटन नहीं किया गया।
		हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने विभिन्न प्रकटन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया।
इंडएएस 33	प्रति शेयर आय	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	प्रति शेयर आय को प्रकट नहीं किया गया।
इंडएएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी की लेखाकंन नीति कि आकस्मिक परिसंपत्ति को सामान्य तौर पर न तो स्वीकृत किया गया न ही प्रकटन किया गया जोकि इंडएएस 37 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कंपनी ने ₹ 46.92 करोड़ की आकस्मिक देयता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण प्रदान नहीं किया।
इंडएएस 38	अमूर्त परिसंपत्ति	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 15.89 करोड़ के अग्रिम पट्टा किराए को पूंजीगत अग्रिमों के बजाय अन्य अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थी:

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू करना और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबन्धन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 98 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए (*परिशिष्ट XVI*)।